न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 123 / 2020

प्रार्थी — बनाम — अप्रार्थी

कन्हैयालाल पुत्र श्री प्रेमाजी — स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही
जाति राजगर (पुरोहित)
निवासी सिलदर तहसील व जिला सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2–अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही)

उपखण्ड अधिकारी ★ सिरोही (राज०) ★ सत्यमेव जयते

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश — दिनांक 18–11–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि. 13–11–2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारो के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि मय कुंआ मौजा सिलदर पटवार हल्का सिलदर तहसील व जिला सिरोही मे राजस्व रेकड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के अनुसार नया खाता संख्या 351 पुराना खाता नंबर 319 के खसरा नंबर 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 383, 385, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 444, 446, 452, 453 कुल किता 52 कुल क्षैत्रफल 29.1500 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/36 हक हिस्सा तथा खाता नंबर नया 13 पुराना खाता नंबर 15 खसरा नंबर 228 व 230 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 2.3700 हैक्टेयर में 1/6 हक हिस्सा है। उपरोक्त वर्णित आराजी मे राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार कानीया पुत्र प्रेमाजी दर्ज है जो प्रेमा पुत्र धमाजी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान मे नामान्तकरण दर्ज के समय राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश खातेदार कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी के स्थान पर गलत नाम कानीया पुत्र प्रेमाजी दर्ज कर दिया है। उपरोक्त खाता नंबरान की आराजी पुश्तैनी है जिसमे प्राथी के नाम बतौर वारिसदार कन्हैयालाल के स्थान पर कानीया का इन्द्राज राजस्व रेकमर्ड मे राजस्व कर्मचारियों की भुल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, बैंकखाता, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स कार्ड आदि मे कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी के नाम से बने हुये है। खाता नंबर 351 व 13 के अन्य सहखातेदार प्रभावित पक्षकार नही होने से उन्हे पक्षकार अप्रार्थी नही बनाया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर तहसील सिरोही मे स्थित कृषि भूमि मय कुंआ नया खाता संख्या 351 पुराना खाता नंबर 319 के खसरा नंबर 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 383, 385, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 444, 446, 452, 453 कुल किता 52 कुल क्षैत्रफल 29.1500 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/36 हक हिस्सा तथा खाता नंबर नया 13 पुराना खाता नंबर 15 खसरा नंबर 228 व 230 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 2.3700 हैक्टेयर में 1/6 हक हिस्सा मे खातेदार का नाम गलत इन्द्राज कानीया पुत्र प्रेमाजी के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की दो प्रति, जमाबंदी संवत 2023 से 2026 एवं जमाबंदी संवत 2033 से 2036, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, नामान्तरण पंजिका की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविग कार्ड की प्रर्ति का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दिनांक 13–11–2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को नोटिस जारी किया गया। विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–11–2020 को दौराने सुनवाई न्यायालय मे वकील प्रार्थी तथा अप्राथी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–11–2020 को वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही) द्वारा विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर सीधी अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम सिलदर के जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 351 मे कनीया पुत्र प्रेमा 1/36 राजगर तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 13 मे कनीया पुत्र प्रेमा 1/6 राजगर दर्ज है जो प्रार्थी के अनुसार खातेदार का नाम गलत अंकन है। जबकि उनका वास्तविक सही नाम कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने सबूत मे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविग कार्ड ईत्यादि दस्तावेज पेश किये है। अतः प्रार्थी का नाम कनीया पुत्र प्रेमा के बजाय कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी दर्ज करना उचित है।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियों व जवाब तहसीलदार, सिरोही का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया। विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिरोही ने अपनी बहस मे यह स्वीकार किया है कि ग्राम सिलदर के जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 351 मे कनीया पुत्र प्रेमा 1/36 राजगर तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता संख्या 13 मे कनीया पुत्र प्रेमा 1/6 राजगर दर्ज है जो प्रार्थी के अनुसार खातेदार का नाम गलत अंकन है। जबकि उनका वास्तविक सही नाम कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने सबूत मे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविग कार्ड ईत्यादि दस्तावेज पेश किये है। अतः प्रार्थी का कनीया पुत्र प्रेमा के बजाय कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी दर्ज करना उचित बताया है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम सिलदर पटवार हल्का सिलदर तहसील व जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी राजस्व रेकड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के अनुसार नया खाता संख्या 351 पुराना खाता नंबर 319 के खसरा नंबर 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 383, 385, 387, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 444, 446, 452, 453 कुल किता 52 कुल क्षैत्रफल 29.1500 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/36 हक हिस्सा तथा खाता नंबर नया 13 पुराना खाता नंबर 15 खसरा नंबर 228 व 230 कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 2.3700 हैक्टेयर में 1/6 हक हिस्सा वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थी खातेदार का गलत दर्ज नाम कनीया पुत्र प्रेमा के स्थान पर सही नाम कन्हैयालाल पुत्र प्रेमाजी दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:54 IST
Reason: SelfAttested

(हंसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)